

201

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध प्र0क0 १०/2-FL-एक/2016 जिला - जबलपुर

शिवदास आत्मज दीना गोंड

उम्र 55 वर्ष व्यवसाय कृषि

निवासी सा. खेरी वार्ड नं. 10 शहपुरा

तहसील शहपुरा जिला जबलपुर

----- आवेदक

विरुद्ध

1. शैलेन्द्र सिंह आत्मज कृपालसिंह
सा. खेरी वार्ड नं. 10 शहपुरा
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर

म0प्र0 शासन द्वारा

कलेक्टर, जिला जबलपुर

----- अनावेदकगण

विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959
(इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 761-एक/16 में पारित
आदेश दिनांक 4-3-16 द्वारा दी गई अनुमति की शर्त कमांक 3
में वृद्धि बावत)

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी कमांक 761-एक/16 में दिनांक 4-3-16 को आदेश पारित करते हुए आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है ।
2. यहकि, आदेश की शर्त कमांक 3 के अनुसार 4 माह का समय विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दिया गया है ।




R
ग/९

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्य मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक विविध 9012-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-1-17	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव गौतम उपस्थित । उभयपक्षों के तर्क सुने गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 761-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 4-3-16 द्वारा आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । इस अवधि को इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 5-9-16 द्वारा 3 माह के लिए बढ़ाया गया था । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक कई बार उप पंजीयक के समक्ष विक्रयपत्र के पंजीयन कराने हेतु उपस्थित हुए परंतु उप पंजीयक द्वारा कहा गया कि केता द्वारा बाजार मूल्य की राशि की दुगुनी राशि अदा करने पर ही विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा । आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि केता द्वारा दुगुनी राशि की व्यवस्था करने में समय लगने की बात कही जा रही है, उक्त कारण से अभी तक विक्रयपत्र का पंजीयन प्रस्तावित केता के पक्ष में नहीं कराया जा सका है और और उक्त अवधि दिनांक 5-12-16 को समाप्त हो रही है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा 4 माह का समय विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया गया । विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 761-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 4-3-16 के परिप्रेक्ष्य में विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि को आज दिनांक से 4 माह और बढ़ाया जाता है । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p> </p> <p> सदस्य</p>